प्रेषक,

अनिल कुमार–XII
अपर जिला न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–II, बहराइच।

सेवामें,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

विषयः वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष २०२३–२०२४ में श्रीमान जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दिए गए टिप्पणी के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन के साथ वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023–2024 में श्रीमान जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा की गई टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी का प्रत्यावेदन निम्नवत है–

1. यह कि **बिन्दु संख्या 01(e) (iv)**– में श्रीमान जनपद न्यायाधीश के द्वारा इजराय सम्बन्धी वादों के प्रगति एवं निस्तारण के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी के न्यायालय में मात्र दो इजराय माध्यस्थम (आर्बिट्रेशन) से सम्बन्धित थे। उक्त निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु प्रार्थी द्वारा अथक प्रयास किया गया किन्तु उभयपक्ष की अनुपस्थिति एवं असहयोग के कारण प्रार्थी द्वारा इजराय वाद(निष्पादन वाद) का निस्तारण दिनांक 31-03-2024 तक नहीं किया जा सका। यह भी प्रार्थनीय है कि प्रार्थी दिनांक 21-11-2023 को गैर जनपद से प्रोन्नति उपरान्त, इस न्यायालय में कार्यभार ग्रहण किया एवं दिनांक 02-01-2023 से 03-02-2023 तक प्रार्थी आधारभूत परीक्षण हेतु न्यायिक प्रशिक्षण एवं रिसर्च संस्थान लखनऊ में सम्मिलित रहा।

2. यह कि **बिन्दु संख्या 01(g) (i)**– में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा गुणदोष पर निस्तारित वादों का विवरण देने के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा गुणदोष के आधार पर अपेक्षानुसार निस्तारित वादों की संख्या दी गई थी। श्रीमान जनपद न्यायाधीश की टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर निस्तारित वादों का विवरण इस प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है **(संलग्नक– एनेक्जर A/1 ता A/5)**।

3. यह कि **बिन्दु संख्या 01(g) (iii)**– में श्रीमान जनपद न्यायाधीश के द्वारा सिविल मामलों में समझौते/वैकल्पिक विवाद समाधान से निस्तारित वादों के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी दिनांक 01-04-2023 से 08-08-2023 तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रावस्ती व दिनांक 09-08-2023 से 20-11-2023 तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के पद पर तैनात रहा तथा दिनांक 21-11-2023 से 31-03-2024 तक अपर जिला जज/एफ०टी०सी०, बहराइच के पद पर कार्यरत रहा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रहने के दौरान उक्त न्यायालयों में सिविल वादों में मात्र नगर पालिका से सम्बन्धित सूक्ष्म संख्या में पत्रावलियां लंबित थीं। लंबित सिविल वादों में प्रार्थी के अथक प्रयास के बाद भी सिविल मामलों से सम्बन्धित लंबित वादों के पक्षकारों द्वारा आपसी सुलह–समझौते के आधार पर वाद के निस्तारण में रुचि नहीं ली गई, जिसके फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा स्वयं मूल्यांकन वर्ष में कोई भी सिविल वाद सुलह–समझौते/वैकल्पिक विवाद समाधान के आधार पर निस्तारित नहीं किया जा सका था। सहवन, टंकण

त्रुटिवश उक्त वादों के सम्बन्ध में उपरोक्त विवरण/कारण, स्वमूल्यांकन विवरण में पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका था।

4. यह कि **बिन्दु संख्या 4–** में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा 29 वारण्ट ट्रायल गुणदोष पर निस्तारित किये गए एवं 07 समन ट्रायल गुणदोष पर निस्तारित किये गए तथा 24 वारण्ट ट्रायल, जिसमें गवाह पक्षद्रोही थे, निस्तारित किए गए, जिनका वर्षवार पूर्ण विवरण इस प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवरण, स्वमूल्यांकन विवरण में काल्पनिक नहीं दिया गया है, बल्कि पोर्टल पर अपलोड करते समय सहवन, टंकण त्रुटिवश निस्तारित किये गए उक्त वादों के अनुसार विवरण, वर्षवार विवरण में नहीं किया जा सका था **(संलग्नक– एनेक्जर B/1 ता B/10)**।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि 2023–2024 के बिन्दु संख्या 01(e) (iv), बिन्दु संख्या 01(g) (i), बिन्दु संख्या 01(g) (iii) व बिन्दु संख्या 4 में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि को सकारात्मक(Expunge) करने के लिए, मेरे प्रत्यावेदन को सम्यक एवं सद्भावनापूर्वक विचार करने के लिए, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा की जाय।

सादर।

भवदीय

26/7/24

दिनांकः 26–07–2024

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

(अनिल कुमार–XII)
अपर जिला न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–II, बहराइच।
आई०डी०–यू०पी० 1830